उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन लंबित मामले

751. **श्री आस मोहम्मद :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन 30 जून, 1994 तक लंबित पड़े मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार ने लंबित पड़े मामलों को भविष्य में समय पर निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार ऐसी सूचना तिमाही आधार पर संकलित करती है । केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण संकलित किया गया है और संलग्न है (**नीचे देखिए**) 30 जून, 1994 तक की सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

कई राज्य सरकारें अंशकालिक जिला मंचों को पूर्णकालिक बना रही हैं । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कार्यभार को देखते हुए किसी भी जिले में अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने का प्रावधान है । तथापि, अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है ।

विवरण

राज्य आयोगों/जिला मंचों में लंबित पड़े मामलों की संख्या

संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग	जिला मंच	कब तक
1.	आंध्र प्रदेश	1682	13,070	31-3-94
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	4	31-3-94
3.	असम	357	1,047	31-12-93
4.	बिहार	1523	7,708	31-3-94
5.	गोवा	71	177	31-12-93
6.	गुजरात	976	12,427	31-12-93
7.	हरियाणा	236	5,265	31-3-94
8.	हिमाचल प्रदेश	766	1,106	31-3-94
9.	जम्मू व कश्मीर	42	2,048	30-6-93
10.	कर्नाटक	1012	9,344	30-6-93
11.	केरल	1842	13,946	31-5-94
12.	मध्य प्रदेश	833	14,141	30-6-93
13.	महाराष्ट्र	2352	12,632	31-3-94
14.	मणिपुर	6	22	30-6-93

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	1	6	31-12-93
16.	मिजोरम	—	15	31-3-94
17.	नागालैण्ड		—उपलब्ध नहीं—	
18.	उड़ीसा	1071	3,471	31-12-93
19.	पंजाब	95	3,820	31-12-93
20.	राजस्थान	1148	14,229	30-6-94
21.	सिक्किम	—	4	30-6-93
22.	तमिलनाडु	266	6,694	31-12-93
23.	त्रिपुरा	17	97	31-3-94
24.	उत्तर प्रदेश	3716	31,000	31-3-94
25.	पश्चिम बंगाल	1825	10,986	31-3-94
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	8	9	31-3-94
27.	चंडीगढ़	415	2,744	31-3-94
28.	दादरा व नगर हवेली	—	8	31-3-94
29.	दमण व दीव	—	20	31-3-94
30.	दिल्ली	1588	7,807	31-3-94
31.	लक्षद्वीप	—	3	31-3-94
32.	पांडिचेरी	24	59	31-3-94

Revamping of PDS

752. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have revamped the Public Distribution System (PDS) in the country;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether the revamped PDS has shown any significant improvements in lifting of allocated quantities by the State Governments for the distribution among the people and if so, what are the details in this regard;

(d) what is the quantity of foodgrains allocated, state-wise, during the year 1993-94 and so far 1994-95;

(e) what are the details of quantities lifted by the State Governments durjng the year 1993-94 and so far in 1994-95;

(f) what is the actual quantity and value of foodgrains distributed through PDS, state-wise, during the year 1993-94 and so far in 1994-95; and

(g) to what extent the revamped PDS has helped the ppor, particularly those living in villages?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) At present 1775 blocks covered under various area specific programmes such as Drought Prone Area Programme (DPAP). Desert Development Programme (DDP) Designated Hill Areas (DHA) and Integrated Tribal Development Project (ITDP) areas are included under the Revamped Public Distribution System (RDPS). Twenty three States and four UTs have blocks covered under the RPDS. RPDS is benefiting